न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(लोकेश कुमार गौत्तम,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 18/2018

श्री अब्दुल सलाम निवासी अमर भारत क्लिनिक,सरकारी अस्पताल के सामने गंगापुर सिटी–322201 जिला सवाई माधोपुर राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक/तहसीलदार टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> **दिनांक 10.05.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 29.08.2017 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

रजिस्टर्ड पत्र संख्या आर.आर 113021832 इन दिनांक 29.08.2017 पर क्या कार्यवाही की गई,उक्त पत्र पर की गई कार्यवाही की एक सत्यापित प्रति।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक/तहसीलदार टोंक से अपील के संबंध मे जवाब हेतु पंत्राक 538–39 दिनाक 27.03.2018,576–77 दिनांक 09.04.2018,640–41 दिनांक 16.04.2018 व 698–99 दिनाक 26.04.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक ने पत्र क्रमांक 683 दिनांक 20.04.2018 से जवाब प्रस्तुत किया की उक्त प्रार्थना पत्र को उनके पत्र क्रमांक 2702 दिनांक 15.09.2017 से तहसीलदार टोंक को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। चूकिं प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार टोंक द्वारा ही कार्यवाही अपेक्षित थी। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी जवाब प्राप्त नही हुआ है। जबकि अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक तथा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।

10/5

(लोकेश कुमार गौत्तम)

जिला कलेक्टर एंव

प्रथम अपील अधिकारी टोंक